

विन्दु सं० - 1

जनपद मैनपुरी में अलीगढ़ - कानपुर मार्ग (एन०एच०-९१) के किमी० २२९ से २८९ तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में २४.२७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर स्थित ११०८८ वृक्षों के पातन की अनुमति भारत सरकार के पं० १४२९/१४-२-२०१३ दि० १६-०८-२०१३ द्वारा प्राप्त की गई । जिसमें पातन वृक्षों का विवरण निम्न प्रकार है -

क० सं०	वन निगम को पातन हेतु आवंटित लाटें	आवंटित वृक्षों की संख्या	पातित वृक्षों की संख्या
1	2	3	4
1	२५ / मैनपुरी / २०१३-१४	१४३१	१४३१
2	२६ / मैनपुरी / २०१३-१४	८८२	८८२
3	२७ / मैनपुरी / २०१३-१४	७५१	७५१
4	२८ / मैनपुरी / २०१३-१४	४९९	४९९
5	२९ / मैनपुरी / २०१३-१४	१५६५	१५६५
6	३३ / भोगांव / २०१३-१४	२१७७	२१७७
7	३४ / भोगांव / २०१३-१४	३०८	३०८
8	३५ / भोगांव / २०१३-१४	४२५	४२५
9	४३ / भोगांव / २०१३-१४	२०६	२०६
10	४४ / भोगांव / २०१३-१४	२६०	२६०
11	४५ / भोगांव / २०१३-१४	२०९	२०९
12	४६ / भोगांव / २०१३-१४	२२८	२२८
13	४७ / भोगांव / २०१३-१४	२९०	२९०
14	४८ / भोगांव / २०१३-१४	१४३९	१४३९
15	४९ / भोगांव / २०१३-१४	२१४	२१४
16	५० / भोगांव / २०१३-१४	२०४	२०४
	योग	११०८८	११०८८

अतः छापे गये बाधक वृक्षों का उ०प्र० वननिगम द्वारा पातन कर लिया गया है । कोई भी छपा वृक्ष पातन हेतु अवशेष नहीं है ।


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी
 (सिद्धार्थ कुमार अम्बेडकर)
 प्रभागीय निदेशक •
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मैनपुरी